राजस्थान राज्य

बनाम

गुलाब सिंह व अन्य

(फौजदारी अपील संख्या 1049/2008)

10 जुलाई, 2008

(डॉ. अरीजीत पसायत एवं पी. सथाशिवम, न्यायाधी श)

दण्ड संहिता 1860- धारा 302 सहपठित धारा 34, 307 भा.दं.सं.

हत्याः- विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 सहपठित 34 के तहत दोषसिद्धि - उच्च न्यायालय ने मृतक के शरीर पर चोट नहीं होने और "मैकेनिकल चोट" का अभाव मानते हुए उक्त दोषसिद्धि को धारा 307 में बदल दिया। अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय ने मामले को ठीक से नहीं समझा। उच्च न्यायालय का "मैकेनिकल चोट" से क्या तात्पर्य था, यह समझ में नहीं आ रहा है, विशेषतः तब जबकि चिकित्सक की साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर 12 चोटें आई हुई थी तथा वे सभी चोटे मृत्यु के पूर्व आना अंकित किया गया था। विचारण न्यायालय के निर्णय का पुर्नस्थापित किया गया।

अभियोजन कहानी के अनुसार मृतका मृत पड़ी पायी गई थी और उसके हाथ और चेहरा कपड़े से बन्धे हुए थे। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण -प्रत्यर्थीगण को धारा 302 सहपठित 34 भा.दं.सं. का दोषी पाया। अपील में उच्च न्यायालय ने उक्त धाराओं में दोषसिद्धि को प्राथमिक रूप से इस आधार पर धारा 307 भा.दं.सं. में बदल

दिया कि मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गई जैसाकि कथित रूप से लोक अभियोजक द्वारा भी स्वीकार किया गया था। इसलिए वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः-

(1) उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट है कि स्पष्टतया यह मामला विवेक का इस्तेमाल किये बगैर आदेश पारित करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। (पैरा 7) (653-डी)

(2) चिकित्सक की साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतका के शरीर पर 12 चोटें होना स्पष्ट थी, जो सभी मृत्यु के पूर्व आई हुई होना दर्शाई गई थी। यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उच्च न्यायालय ने मृतक के शरीर पर चोटे नहीं होना कैसे माना तथा यह और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय ने ऐसा करते हुए यह टिप्पणी भी करी कि मृतका के शरीर पर 'मैकेनिकल इन्जरी' का अभाव था, जिसे देखते हुए अभियुक्त की ओर से रखे गये तर्क को महत्व नहीं दिया जाना अनुचित होगा। 'मैकेनिकल इन्जरी' से उच्च न्यायालय का तात्पर्य भी समझ में नहीं आ रहा है। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का ऐसे गलत और अप्रिय निर्णय पर पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है। धारा 302 सहपठित धारा 34 को 307 भा.दं.सं. में बदलने का उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय पुर्नस्थापित किया गया। (पैरा 8) (653-एफ, जी व एच; 654-ए व बी)

आपराधिक अपीलीय क्षैत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1049/2008

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी.बी.आपराधिक अपील नं. 198/2002 में पारित निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 15.07.2005 से उद्भूत।

वी.मधुकर, राजेश कुमार आैर अरूणेश्वर गुप्ता अपीलार्थी की ओर से।

डॉ. अरीजीत पसायत न्यायमूर्ति द्वारा निर्णय पारित किया गया।

(1) अनुमति दी गई।

(2) हस्तगत अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के खण्डपीठ के आदेश के विरूद्ध पेश हुई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण की धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को धारा 307 भा.दं.सं में बदल दिया गया। यद्यपि धारा 458 आैर 460 भा.दं.सं. में दोषसिद्धि को यथावत रखा गया था, किन्तु इन अपराध में दी गई सजाआेंं को भी भुगती हुई सजा तक कम किया गया।

(3) प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 को विचारण न्यायालय सेशन जज, राजसमंद (फास्ट ट्रेक) ने धारा 302 सहपठित धारा 34 आैर 460, 458, 397 भा.दं.सं. और अन्य अपराध हेतु दोषी करार देकर सजाएं सुनाई।

(4) अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार हैः-

दिनांक 11.07.1999 को भारसाधक अधिकारी आरक्षी केन्द्र राजसमंद को परिवादी श्री प्रकाश चन्द (पी.डब्ल्यू 4) द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) प्रस्तुत किये जाने पर प्रश्नगत सेशन केस उत्पन्न हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 11.07.1999 की सुबह करीब 6.30 बजे नवलराम के पिता दलीचन्द के मकान के बाहर हंगामा हो रहा था। परिवादी दलीचन्द के घर गया और देखा कि श्रीमती ज्योति पत्नि दलीचन्द मृत अवस्था में पड़ी हुई थी तथा उसके हाथ और चेहरा कपड़े से बन्धे हुए थे। दलीचन्द भी हाथ और पैर बन्धे हुई अवस्था में कमरे के अन्दर पाया गया। फिर रूपसिंह ने उसके हाथ पांच खोले। कमरे

के अन्दर सामान बिखरा पड़ा था। दलीचन्द के बच्चे बम्बई में रहते है और दलीचन्द के उचित मूल्य के सामान की दुकान थी। घटना किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी।

उक्त शिकायत प्रस्तुत होने पर मुकदमा संख्या 479/99 अन्तर्गत धारा 460/458 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने परिवादी प्रकाश चन्द के बयान लेखबद्ध किये। चोटग्रस्त दलीचन्द के ईलाज हेतु राजसमन्द और उदयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 प्राप्त किया गया और एक्सरे परीक्षण भी करवाया गया। मौका निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी-14 बनाया गया। मृतका ज्योति बाई के शव का परीक्षण कर प्रदर्श पी-1 पंचायतनामा बनाया गया। मृतक के हाथ और मुंह पर बन्धे कपड़ों पर खून लगा होने से उन्हे साक्ष्य के रूप में जरिये प्रदर्श पी-7 जब्त किया गया। मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करवा कर रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 अभिलेख पर ली गई। उसकी लाश अंतिम संस्कार हेतु उसके वारिसान को प्रदर्श पी-2 के जरिये सुपुर्द की गई। घटना स्थल पर पड़े खून आलूदा पत्थर और कन्ट्रोल नमूना पत्थर भी जब्त किए गए, जिस संबंध में प्रदर्श पी-8 बनाया गया। गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। चोरी हुए सामान की सूची बनाई गई। घटनास्थल से चान्स प्रिन्ट लिये गये। अभियुक्तगण गुलाबसिंह, उदयसिंह, नाथूसिंह और लक्ष्मणसिंह को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सोने, चान्दी की वस्तुए और रूपये 24,400/- बरामद किये गये। तत्पश्चात् अभियुक्तगण धूलसिंह और शम्भुसिंह की सूचना के आधार पर आभूषण बरामद किये गये और प्रदर्श पी 10 लगायत प्रदर्श पी 13 बनाई गई। अभियुक्तगण ने घटनास्थल की तस्दीक करी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 49 से पी 52 बनाई गई। गवाह दलीचन्द ने अभियुक्तगण की पहचान की और जब्तशुदा केस प्रॉपर्टी

को भी पहचाना, इनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 67 से पी 72 बनाई। खून आलूदा कपड़े और पत्थरों को एफएसएल परीक्षण हेतु एफएसएल उदयपुर भेजा गया। घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई गई। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण गुलाबसिंह, उदयसिंह और नाथूसिंह के विरूद्ध धारा 460, 458, 302 भा.दं.सं. और अभियुक्तगण धूलसिंह, मोतीसिंह, शंभूसिंह के विरूद्ध धारा 414, 411, 120 बी भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध की पर्याप्त साक्ष्य पाई गई। राजनगर थानाधिकारी ने उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसे सेशन कोर्ट में उपार्पित किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित कराने हेतु 16 गवाहान को परीक्षित करवाया। मृतका के शव का परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृतका के शरीर पर 12 चोटें पाई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन कहानी विश्वसनीय पाई और दोषसिद्धि करते हुए उपरोक्त उल्लेखित सजाएं पारित की।

यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शम्भुसिंह को धारा 411 भा.दं.सं. के लिए एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया था। वह हाईकोर्ट में हुई अपील में पक्षकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने प्राथमिक तौर पर दोषिसिद्धि को इस आधार पर बदला कि मृतका के शरीर पर कोई चोटें नहीं थी जैसा कि कथित रूप से सुयोग्य लोक अभियोजक द्वारा स्वीकार भी किया गया था।

(5) अपीलार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण बेहद गलत है क्योंकि लोक अभियोजक द्वारा दुर्बलतापूर्वक यह मान लेने का प्रश्न ही नहीं था कि मृतका के शरीर पर चोटे नहीं थी। वास्तव में जैसा कि

विचारण न्यायालय द्वारा भी सन्दर्भित किया गया था, चिकित्सक की साक्ष्य इस बारे में स्पष्ट थी कि मृतका के शरीर पर 12 चोटें पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 12 चोटें इंगित करी गई थी। इसलिए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. में की गई दोषसिद्धि को धारा 307 भा.दं.सं. में बदल कर स्पष्टतया भूल की है।

(6) नोटिस की तामील होने के उपरान्त भी प्रत्यर्थीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(7) उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट है कि यह विवेक का उपयोग नहीं करने का एक उत्कृष्ट मामला है। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बदलने हेतु दिया गया एकमात्र निष्कर्ष निम्न हैः-

> "विद्वान लोक अभियोजक ने निर्बलतापूर्वक यह स्वीकार किया है कि मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं थी।'
> अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को नहीं मानना अनुचित होगा। वर्तमान मामले में धारा 307 भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध का गठन होना स्पष्टतः माना जा सकता है क्योंकि उस प्रक्रिया में एक प्रयत्न किया गया था जिससे कि आहतों में से एक आहत की मृत्यु हो गयी।"

(8) जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चिकित्सक की साक्ष्य, जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय ने किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मृतका के शरीर पर 12 चोटें होना स्पष्ट है जो सभी चोटें मृत्यु पूर्व की होना पाया गया था। यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उच्च न्यायालय ने किस प्रकार से अपने आदेश में यह अंकित किया है कि मृतका के शरीर पर चोटें नहीं थी तथा यह और भी ज्यादा

आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय ने ऐसा करते हुए यह टिप्पणी भी करी कि मृतका के शरीर पर' ' , जिसे देखते हुए अभियुक्त की ओर से रखे गये तर्क को महत्व नहीं दिया जाना अनुचित होगा। मैकेनिकल इन्जरी से उच्च न्यायालय का क्या तात्पर्य था यह भी समझ में नहीं आ रहा है। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का ऐसे गलत और अप्रिय निर्णय पर पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय का निर्णय पुर्नस्थापित किया जाता है और धारा 302 सहपठित धारा 34 में की गई दोषसिद्धि को धारा 307 में बदलने की सीमा तक उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थीगण शेष सजा भुगतने हेतु तत्काल समर्पण करेंगे।

(9) अपील स्वीकार की गई।

अपील स्वीकार
की।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अहसान अहमद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।